न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रेफरेन्स/04/2019

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–निनुआ पुत्र शोभाराम हि01/4 जाति नाई सा. नगला कनकू मथुरा,
2–प्रेमनारायण पुत्र किशनदत्त हि0 1/4 जाति ब्राहम्ण सा. भरतपुर
3–विनोद कुमार पुत्र ईश्वरदत्त हि0 1/4 जाति वैश्य सा. भरतपुर
4–सुरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल हि0 1/4 जाति वैश्य सा0 भरतपुर

.....अप्रार्थी0

रेफरैन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बाबत आराजी खसरा नम्बर 279/3131 रकबा 0.02 ग्रांम कस्बा भरतपुर चक नं.03 तहसील भरतपुर।

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार, प्रार्थी,

निर्णय दिनांक 27.12.2024

प्रार्थी0 ने यह रैफरेन्स विरुद्व अप्रार्थी0 इस आश्य का पेश किया है, संक्षेप में विवरण इस प्रकार है–गत खसरा नम्बर 1754 रकबा 6 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 279/3131 रकबा 0.02 है0 कस्बा चक न0 3 में स्थित हैं, जमाबन्दी सम्वत 2026 खतौनी संख्या 135 में छोटेलाल बल्द तुलसी कौम माली के खाते में दर्ज रिकार्ड थी। हाल आराजी खसरा नम्बर 279/3131 रकबा 0.02 है0 कस्बा चक न0 3 में निनुआ पुत्र शोभाराम हि. 1/4, जाति नाई सा. नगला कनकू मथुरा खातेदार, प्रेमनारायण पुत्र किशनदत्त हि0 1/4 जाति ब्राहम्ण सा. भरतपुर खातेदार, विनोद कुमार पुत्र ईश्वरदत्त हि0 1/4 जाति वैश्य सा0, सुरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल हि0 1/4 जाति वैश्य सा0 भरतपुर के खाते में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी मौके पर सी.एफ.सी. डी. के बहाव क्षेत्र में है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबधित भूमि की श्रेणी में आती है, अप्रार्थी0 ने मिलीभगत करके जलभराव क्षेत्र में खातेदारी प्राप्त करली है जो अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिप्रेक्ष्य में उनकी खातेदारी निरस्त करने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय बहाव क्षेत्र भूमि पर अवैध रुप से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कलमजन कराये जाने एवं विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज कराये जाने की तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी हेतु नोटिस जारी किये गये परन्तु नोटिस तामील नहीं होने पर, अप्रार्थीगण के तलवी नोटिस जरिये अखबार साया कराये गये। अप्रार्थी0 के तलवी नोटिस का प्रकाशन दैनिक अखबार भरतपुर संस्करण में करवा गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। पैरोकार सरकार को इकतरफा में सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 279/3131 रकबा 0.02 है0 कस्बा चक न0 3 में निनुआ पुत्र शोभाराम हि. 1/4, जाति नाई सा. नगला कनकू मथुरा खातेदार, प्रेमनारायण पुत्र किशनदत्त हि0 1/4 जाति ब्राहम्ण सा. भरतपुर खातेदार, विनोद कुमार पुत्र ईश्वरदत्त हि0 1/4 जाति वैश्य सा0, सुरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल हि0 1/4 जाति वैश्य सा0 भरतपुर के खाते में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी मौके पर सी.एफ.सी.डी. के बहाब क्षेत्र में है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है अप्रार्थी0 ने मिलीभगत करके जलभराव क्षेत्र में खातेदारी प्राप्त करली है जो अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिप्रेक्ष्य में उनकी खातेदारी निरस्त करने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय पानी बहाव क्षेत्र भूमि पर अवैध रुप से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को कलमजन कराये जाने एवं विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी एवं गिर्दावर दिनांक 06.09.2018 का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट के विन्दू संख्या– 3 में अंकित किया है कि ".. विवादित आराजी खसरा नम्बर नगर निगम भरतपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं रिपोर्ट की विन्दू संख्या –4" में अंकित किया है कि ".... उक्त भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिवंधित भूमि की श्रेणी मे आती है एवं अब्दुल रहमान वनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित है....।" रिपोर्ट के अन्त में प्रार्थना की गई है कि राजकीय भूमि पर अनुचित रुप से अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर भूमि का दुरुपयोग किया है। खसरा नम्बर 279/3131 रकबा 0.02 है0 के खातेदारी

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अधिकार निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने की कार्यवाही की जावे।

विचाराधीन प्रकरण रेफरेन्स में निम्न विन्दू तय किये जाने हैं :–

1– क्या विवादित आराजी खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 1754 रकवा 6 विस्वा, से बने हाल खसरा नम्बर 279 / 3131 रकवा 0.02 है0 कस्बा चक न0 3 सी.एफ.सी.डी. के बहाव क्षेत्र में है ?
2– क्या विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिवन्धित श्रेणी में आती है?

बिन्दू संख्या 1 व 2 – जमावन्दी सं. 2026 कस्बा भरतपुर चक. न. 3 में विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 1754 रकवा 6 विस्वा पर भूमि किस्म कॉलम संख्या 8 में चाही, गै.मु.परत पुरातन का अंकन हो रहा है तथा कॉलम संख्या–5 में छोटेलाल वल्द हुक्मी जाति माली सा. सूरजपोल खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043–2062 के अनुसार गत आराजी खसरा नम्बर 1754 रकवा 6 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 279 / 3131 रकवा 0.02 ऐयर बनाया जाना दर्शाया गया है। जमावन्दी सं. 2072–2075 में विवादित हाल खसरा नम्बर 279 / 3131 रकवा 0.02 ऐयर पर अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज हैं। जमावन्दी सं. 2026 कस्बा भरतपुर चक. न. 3 में विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 1754 रकबा 6 विस्वा पर भूमि किस्म कॉलम संख्या 8 में विवादित आराजी की भूमि किस्म चाही, गै.मु.परत पुरातन के अंकन से स्पष्ट है कि विववादित आराजी सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में नही आती है और नाहीं राजस्व रिकार्ड में भूमि किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिवन्धित की श्रेणी की दर्ज है। तहसीलदार भरतपुर ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे उनके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। अस्तु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेपित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–12–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर